दिनांक 17–18 सितम्बर, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

1. **उपस्थिति:–संलग्न।**
समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्यस्तरीय बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया साथ ही अनुपस्थिति की स्थिति की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय को दिनांक 18.09.18 के आहूत राज्यस्तरीय बैठक मे अनुपस्थित रहने से संबंधित स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही अगली बैठक से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों का सबधित तिथि का वेतन अवरूद्व करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन:– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सभी जिला सां० पदा०/स्थापना

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही का अनुपालन एवं सांख्यिकी से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के **8 तारीख तक** निदेशालय को निश्चित रूप से लभ्य कराने का स्पष्ट निदेश दिया गया।

अनुपालन:– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

3. प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एव गुरूवार को साख्यिकी से संबंधित सभी कार्यो का निरीक्षण एव पर्यवेक्षण सुनिश्चित करे।

अनुपालन:– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

4. सभी जिला साख्यिकी पदाधिकारियों को जिला स्तरीय सभी प्रकार के बैठकों मे भाग लेने एव सांख्यिकी कार्यो से संबंधित समीक्षा करने का निदेश दिया गया, ताकि सांख्यिकी कार्यो से संबधित लंबित प्रतिवेदन को अद्यतन किया जा सके।

अनुपालन:– सभी जिला सां०पदा०

5. स्थापना :–

(i) जिस प्रमंडलीय उप निदेशक(सा0) कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय में कर्मियों का पदस्थापन शून्य है उक्त कार्यालय में कर्मी के पदस्थापन पर विचार करने का निदेश दिया गया। तत्काल जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, खगडिया को निदेश दिया गया कि कर्मी के अभाव की स्थिति में किसी नजदीक के प्रखंड से प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को सप्ताह में तीन दिन कार्यालय कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर कार्यालय कार्य का संपादन करावें।

अनुपालन:– निदेशालय/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) जिला सांख्यिकी कार्यालय, जहानाबाद, अरवल, सारण एवं भोजपुर का सरकारी वाहन चोरी हो जाने के कारण वहॉ के सांख्यिकी कार्यों का सम्पादन, पर्यवेक्षण एवं जॉच का कार्य प्रभावित हुआ है। वाहन चोरी से संबंधित दर्ज प्राथमिकी (FIR) पर जॉच एवं अनुसंधान का कार्य जारी है एव अभी तक वाहन बरामद होने की सूचना नहीं है। ऐसी स्थिति में वित्त विभाग के द्वारा अनुमोदित दर एवं निदेश के आलोक में संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रत्येक माह 10 (दस) दिन तक भाडे का वाहन (जिला के लिए अनुमोदित दर के आधार पर) लेकर सांख्यिकी से संबंधित महत्त्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन:– स्थापना प्रशाखा/जिला सां०पदा०, जहानाबाद, अरवल, सारण एवं भोजपुर।

6. बजट :–

(i) (क) वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह–अगस्त 2018 का व्यय विवरणी सभी कार्यालयो से प्राप्त है इसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। समीक्षा में कुछेक जिलों से प्राप्त मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS से प्राप्त व्यय विवरणी के साथ सत्यापित प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण निदेश दिया गया कि मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS की सत्यापित प्रति सलग्न करते हुए अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह के 8वी तारीख तक लभ्य कराना सुनिश्चित करे।

अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

(ख) निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के वेतन आदि का भुगतान नियत समय पर नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय मे पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एव नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

(ii) लंबित AC/DC विपत्र की समीक्षा मे पाया गया कि सिर्फ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना के यहॉ AC विपत्रो के विरूद्ध समर्पित DC विपत्र असमायोजित है, जिसका समायोजन यथाशीघ्र करवाने का निदेश दिया गया।

(iii) विगत वर्षो में समर्पित डी.सी विपत्रों की लेखा परीक्षा आपत्तियो का अनुपालन जिला सांख्यिकी कार्यालय, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा एवं मधुबनी में लंबित रहने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को AC विपत्रों का समायोजन कराने का निदेश दिया गया। अगर कोई लंबित/असमायोजित DC विपत्र उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित नहीं है तो इसका सत्यापन कोषागार से करवा लें, ततसबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करावें।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०/बजट

(iv) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनो की समीक्षा में पाया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरगाबाद, वैशाली एवं गया के यहॉ काफी समय से अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन लंबित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित अंकेक्षण आपत्ति के जिन कंडिकाओं का अनुपालन तुरंत किया जा सकता है, उसका अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करे। साथ ही जिला के प्रखडों/अंचलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर ततसंबंधी अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करते हुए शेष राशि का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करें।

अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा

7. लेखाः–

(i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2017–18 के सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 मे सहायक अनुदान मद में आवटित राशि के विरूद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा BTC42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्ति की समीक्षा में पाया गया कि अभी तक उप निदेशक (सां०), पटना प्रमण्डल, पटना जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर/किशनगंज/कटिहार/सीतामढी/ वैशाली/लखीसराय द्वारा प्राप्त कराया गया है। जबकि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/भोजपुर/भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहने के कारण संशोधित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु वापस किया गया। शेष सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का आश्वासन दिया गया। सभी को निदेश दिया गया कि BTC42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने की कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। दिनांक 15.10.2018 तक क्षेत्रीय कार्यालयो के जिस आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा उक्त मद में निकासी की गई राशि के विरूद्ध BTC42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया जायेगा उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालनः– प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०/लेखा शाखा

(ii) गत बैठकों मे दिये गये निदेश के बावजूद अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड पंजी के अतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति एवं बैक पासबुक के अतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति कुछेक जिला/प्रमंडल के द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी को निदेश दिया गया कि उक्त प्रतिवेदन के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय सहित अपने लेखा एव रोकड का जॉच प्रतिवेदन भी प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक निदेशालय के लेखा शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। Cash Book और Bank Balance में बहुत जिलों मे अतर पाया गया। निदेश दिया गया कि Bank Reconciliation Statement भी साथ ही भेज दें तथा लेखा शाखा को Bank Reconciliation Statement Model भी जिलों को भेजने का निदेश दिया गया है।

निदेशालय स्तर से भ्रमण में जाने वाले सभी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भ्रमण के दौरान निश्चित रूप से कार्यालय रोकडपजी जॉच/अवलोकन करे एव यदि किसी कार्यालय का रोकडपजी अद्यतन सधारित नही है तो तुरंत वहॉ के रोकडपाल तथा आहरण एव व्ययन पदाधिकारी पर कार्रवाई की अनुशंसा करें।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/लेखा शाखा

8. कृषि:–

(i) द्रुत जिंसवार:– कृषि वर्ष 2018–19 का भदई द्रुत जिंसवार प्रतिवेदन जिला अरवल, औरंगाबाद, सारण, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, पटना, नालंदा, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, सीतामढी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एव अररिया से अप्राप्त पाया गया। निदेश दिया गया कि द्रुत जिसवार प्रतिवेदन निश्चित रूप से अनुवर्ती माह के 8वीं तिथि तक निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन:– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) सामान्य जिंसवार:– कृषि वर्ष 2017–18 के गरमा/रब्बी सामान्य जिसवार के समीक्षा मे पाया गया कि जिला पटना एवं बाका से गरमा एवं रब्बी तथा पूर्वी चम्पारण से गरमा जिंसवार प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि सामान्य जिंसवार प्रतिवेदन निश्चित रूप से एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन:– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) भूमि उपयोग विवरणी:– कृषि वर्ष 2017–18 के भूमि उपयोग विवरणी के समीक्षा में निम्न जिला यथा, गया, रोहतास, भभूआ, जहानाबाद, सारण, सीवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, सहरसा एवं मधेपुरा से प्रतिवेदन प्राप्त पाया गया, शेष जिलो को निदेश गया कि एक सप्ताह के अन्दर लंबित प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन:– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) फसल सांख्यिकी सुधार योजना अन्तर्गत रब्बी मौसम का 1 1 एवं 1.0 क्रमशः सुपौल, अररिया, जहानाबाद तथा गरमा 1.0 एवं 1.1 क्रमश सुपौल, पूर्णियाँ, अररिया, अरवल, बांका से लंबित पाया गया जबकि गेहूँ 2.0 क्रमशः पटना एवं सुपौल चना 2.0 पटना तथा राई सरसों 2.0 अररिया जिला से लंबित पाया गया। निदेश दिया गया कि लबित प्रतिवेदन एक सप्ताह में निदेशालय को लभ्य करायें।

अनुपालन:– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(v) राज्य में कृषि वर्ष 2018–19 मे "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" लागू है। खरीफ 2018–19 के लिए अगहनी धान एवं भदई मकई को इस योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। फसल कटनी प्रयोग के आंकडे को CCEAPP के माध्यम से Upload किया जाना है। दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2018 को A.N Sinha Institute मे दिये गये प्रशिक्षण के दौरान तीन मुख्य विन्दु पर परामर्श प्राप्त हुआ। ~~तद्नुसार~~ परामर्शानुसार तीन विन्दु पर Portal एवं App मे परिवर्तन किया जा चुका है। परिवर्तन की जानकारी उपस्थित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दी गयी एवं Portal Login करने हेतु User ID एवं Password सभी को उपलब्ध कराया गया। निदेश है कि सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अपने–अपने जिलें का फसल कटनी प्रयोग के आंकडो को CCEAPP पर Upload करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन:– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/कृषि शाखा

(vi) **फल सब्जी:–** फल–सब्जी कटनी प्रयोग में सभी लंबित प्रतिवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालन:– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vii) मानदेय भुगतान:–वर्ष 2012 में मानता प्राप्त स्वंय सेवकों द्वारा किये गये फसल कटनी प्रयोग हेतु मानदेय का बकाया राशि की समीक्षा में कतिपय जिलों में राशि अवशेष पाया गया वे सभी अपने–अपने जिला में अभियान चलाकर राशि नियमानुसार एक सप्ताह के अन्दर भुगतान कर दे।

अनुपालन:– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

9. वर्षापात:–

(i) वर्षा के आंकडों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वा0 तक लोड करने का निदेश दिया गया। प्रत्येक दिन के वर्षापात का आंकडों से अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

(ii) जिलो में अधिष्ठापित AWS का मासिक स्थलीय भौतिक जॉच प्रतिवेदन प्रत्येक अनुवर्ती माह के 8वी तारिख तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/निदेशालय

10. रान्यासः–

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 76वें सत्र के प्रथम उपसत्र मे माह– अगस्त 2018 तक के कार्यो की समीक्षा की गयी। प्रत्येक माह के सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियॉ निदेशालय को अनुवर्ती माह के 7वीं तारीख तक लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही नव प्रशिक्षित कनीय सांख्यिकी सांख्यिकी सहायक को प्रशिक्षण के उपरांत कार्य आवंटन निदेशालय स्तर से किया जा चुका है।

अनुपालनः– रान्यास से संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

11. लघु सिंचाई गणनाः–

(i) निदेशालय द्वारा भेजी गयी छठी लघु सिचाई गणना के मास्टर डाटा की जॉच कर इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजेगें की एक भी ग्राम एवं वार्ड का नाम नही छुटा है। यदि त्रुटि पायी गयी हो तो संशोधित मास्टर डाटा पुनः भेजते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र भेजें।

(ii) ग्राम निदेशिका (चार्ज रजिस्टर) 31.08.18 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया था। इस क्रम में जिला खगडिया, शेखपुरा, लखीसराय, पटना, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, औरंगाबाद, गया, किशनगज, सुपौल को छोड़कर शेष से अप्राप्त है। अप्राप्त जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अविलंब ग्राम निर्देशिका (चार्ज रजिस्टर) एक पक्ष के अन्दर अचूक रूप से उपलब्ध करानें का निदेश दिया गया।

(iii) पंचम लघु सिंचाई गणना सदर्भ वर्ष 2013–14 के मानदेय मद में बकायें राशि की माग पत्र पूर्व में आवंटित राशि के Justification के साथ भेजने का निदेश दिया गया।

(iv) छठी लघु सिंचाई गणना के जिला एवं अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण में सादी अनुसूचियॉ प्रगणक को उपलब्ध नही करायी जाय क्योकि मार्गदर्शिका में सभी अनुसूचियॉ सन्निहित है।

(v) पिछले लघु सिंचाई गणना में योजनाओं से 10 प्रतिशत अधिक प्रपत्र दिया गया है। योजना के अनुरूप प्रगणक को प्रपत्र दिया जाय एवं 10 प्रतिशत जिला पर आकस्मिकता के रूप में सुरक्षित रखा जाय।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

12. आर्थिक गणनाः–

छठी आर्थिक गणना मद मे जिलों को अलग–अलग वित्तीय वर्षो में राशि का आवटन किया गया था। जिलों द्वारा व्यय हेतु आहरित राशि में से बैंकों में जमा अवशेष राशि जिला कोषागार में जमा कर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि उनके द्वारा जिला कोषागार में जमा की गयी इस राशि में अन्य मदों की राशि शामील है या केवल आर्थिक गणना मद की राशि है। इस सबंध मे सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे जिला कोषागार में जमा की गयी आर्थिक गणना मद की राशि का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य करावें।

जिला समस्तीपुर, मधुबनी एवं दरभंगा द्वारा आर्थिक गणना मद में जिला कोषागार मे चालान के माध्यम से जमा की गयी राशि का पुनः जॉच किया जाना आवश्यक है। निदेश दिया गया कि इन जिलों में राशि का सत्यापन हेतु निदेशालय से गठित टीम को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि आर्थिक गणना मद की राशि का सही प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सके। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी इसे गभीरता पूर्वक लेगें क्योकि यह मामला पूर्णतः वित्तीय है। जॉचोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सूचना/राशि भारत सरकार को भेजा जाना है।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/निदेशालय

13. जीवनांकः–

(i) **जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधित मासिक प्रतिवेदनः–** सभी जिला साख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वी तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करे।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(ii) **प्रतिवेदन प्रेषण स्तरः–** सभी जिला साख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयो से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iii) <u>जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धिः–</u> माह–अगस्त 2018 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 66 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। शेखपुरा, किशनगज एवं भागलपुर जिलों के द्वारा माह–अगस्त 2018 तक 60 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया गया इसके लिए इन जिलो को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शेष जिलों के जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धि पर असतोष व्यक्त किया गया। सितम्बर माह तक 75 प्रतिशत की उपलब्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है परंतु समीक्षा के क्रम में वैसे जिले जिनका प्रतिशत उपलब्धि 50 प्रतिशत से कम है उन्हें अगलें माह तक 65 प्रतिशत एवं जिनका प्रतिशत उपलब्धि 50 प्रतिशत या उससे अधिक है उन्हें अगलें माह तक 75 प्रतिशत निश्चित रूप से प्राप्त करने का निदेश दिया गया। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला साख्यिकी पदाधिकारी को अपने जिलो के जिला पदाधिकारी से समन्वयव स्थापित कर सभी अपेक्षित कारगर कदम उठाने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv).समीक्षा के क्रम में सारण जिला मे पंचायत स्तर के रजिस्ट्रीकरण ईकाइयो में सी.आर.एस. पोर्टल के माध्यम से त्वरित गति से ऑन–लाईन रजिस्ट्रीकरण प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण

(v) स्वास्थ्य संस्थानों में घटित जन्म–मृत्यु के घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में पाये जा रहे अंतर से जिला सांख्यिकी पदाधिकारियो को अवगत कराया गया तथा अंतर को शीघ्र समाप्त करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vi)जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाईयो का निर्धारित निरीक्षण प्रतिवेदन के विरूद्व प्राप्ति की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। प्रत्येक माह में निर्धारित संख्या के अनुरूप निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(vii) <u>नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्सः–</u> नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स असम से प्राप्त जीवनांक अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन अभी भी 600 की संख्या में विभिन्न जिलों में लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को NRC से संबधित जीवनांक अभिलेखो को सत्यापित कर प्रतिवेदन निम्न समयावधि में निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

जिला का नाम	लंबित प्रतिवेदनों की सं०	सभी लंबित प्रतिवेदन निष्पादित किये जाने की समयावधि।
पटना	03	30 सितम्बर 2018 तक
नालंदा	1	30 सितम्बर 2018 तक
कैमूर	3	30 सितम्बर 2018 तक
कटिहार	11	30 सितम्बर 2018 तक
सुपौल	2	30 सितम्बर 2018 तक
मधेपुरा	1	30 सितम्बर 2018 तक
मुजफ्फरपुर	88	30 सितम्बर 2018 तक
पूर्वी चम्पारण	30	30 सितम्बर 2018 तक
प0 चम्पारण	8	30 सितम्बर 2018 तक
सीतामढी	15	30 सितम्बर 2018 तक
वैशाली	118	30 सितम्बर 2018 तक
सारण	169	30 सितम्बर 2018 तक
सीवान	35	30 सितम्बर 2018 तक
दरभगा	47	30 सितम्बर 2018 तक
मधुबनी	26	30 सितम्बर 2018 तक
समस्तीपुर	15	30 सितम्बर 2018 तक
मुंगेर	1	30 सितम्बर 2018 तक
बेगुसराय	27	30 सितम्बर 2018 तक

अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(viii) बैठक मे सारण जिला मे NRC की लंबित मामलो की जॉच वरीय संयुक्त निदेशक को करने एव जिला साख्यिकी पदाधिकारी सारण का Performance report भी समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/वरीय संयुक्त निदेशक

(ix) MCCD **<u>त्रैमासिक प्रतिवेदनः–</u>** वर्ष 2018 से यह प्रतिवेदन 5 जिलों के छ. मेडिकल कॉलेज एव हॉस्पीटल के साथ–साथ सभी जिलो के सदर अस्पताल से प्राप्त किया जाना है। पटना, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, दरभंगा, खगडिया, भागलपुर, लखीसराय, बांका, सुपौल एवं अररिया से प्रथम एवं द्वितीय त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राप्त है तथा शेष जिलों को लंबित प्रतिवेदन ससमय लभ्य कराने का निदेश दिया गया। इसके लिए निदेशालय स्तर से सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / जीवनांक प्रशाखा

(x) MCCD **<u>प्रशिक्षण उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–</u>** MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वर्ष 2012–13 का मुंगेर, वर्ष 2013–14 का मुंगेर एवं किशनगंज तथा वर्ष 2014–15 को मुंगेर एवं सहरसा से लम्बित है। सबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(xi)**<u>SSSP प्रशिक्षण का उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–</u> नवादा एवं** सहरसा से वर्ष 2017–18 में प्रशिक्षण मद में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को 30.09.18 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(xii)**<u>मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम संबंधित प्रतिवेदनः–</u>** जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम ससमय लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(xiii)पी.एम.ओ./सी.एम.ओ. .पोर्टल पर प्राप्त जन्म, मृत्यु एवं शिकायत संबंधित जॉच प्रतिवेदन पटना, वैशाली, सिवान से लंबित है। सबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता देते हुए अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर लभ्य करायें।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

14. <u>साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी</u> :–

(i) साधन सांख्यिकी का प्रतिवेदन सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016–17 एव 2017–18 का **लेखा विवरणी (आय एवं व्यय)** विहित प्रपत्र में सभी जिलों से अप्राप्त है। सभी जिलों को पूर्ण प्रतिवेदन लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) साधन सांख्यिकी अन्तर्गत सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) की अद्यतन सूची आधार वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षण हेतु विहित प्रपत्र में गया, खगडिया, सारण, वैशाली, भागलपुर, सहरसा, अरवल, सीवान, औरंगाबाद, जमुई, गोपालगंज, कैमूर, शिवहर एवं मधुबनी से प्राप्त है। शेष जिलों से पूर्ण प्रतिवेदन लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iii) आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन ऑन–लाईन अद्यतन प्रतिवेदन भारत सरकार को लभ्य कराने हेतु जिला साख्यिकी पदाधिकारी. गया, मुगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना एव कटिहार को भेजने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

15. <u>औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं कृषि पदार्थो का थोक मूल्य</u> :–

(i) कृषि पदार्थो का थोक मूल्य प्रत्येक सप्ताह में निश्चित रूपेण निदेशालय में लभ्य कराने हेतु सभी सबधित जिला साख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) औद्योगिक उत्पादन सूचकाक से सबधित लबित प्रतिवेदन निदेशालय को शीघ्रताशीघ्र लभ्य कराने हेतु सभी सबंधित जिला साख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

अन्त मे बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

निदेशक

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 06/2017/ 1102/पटना, दिनांक– 28.09.18

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी ज़िला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एव सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

निदेशक 28/09

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 06/2017/ 1102/पटना, दिनांक– 28.09.18

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांगा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एव श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 28/09

[illegible] 18.09.2018 (मंगलवार) को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की अध्यक्षता में आहूत [illegible]त्रीय पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक मासिक बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों की उपस्थिति :-

क्र	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल सं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	मो० सलीम अंसारी	प्र० प्रमण्डलीय उप निदेशक, गया	7903586833	[signature] 18/9/18
2	श्री विनय कुमार कुमार प्रियदर्शी, निदेशक	प्रमण्डलीय उप निदेशक, मुंगेर निदेशक	9430061941 7631[illegible]8121	[signature] 18/9/18
3	श्री विनय कुमार सुनील कुमार	प्रमण्डलीय उप निदेशक, भागलपुर ASO	9430061941 9835772983	[signature] 18/9
4	श्री मनोज कुमार झा (RPO) [illegible] नारायण [illegible]	प्रमण्डलीय उप निदेशक, दरभंगा ASO	9470489766 9430328583	[signature] 18.9.18
5	आनंद प्रकाश (तत्काल)	प्रमण्डलीय उप निदेशक, सारण जिला सां० पदा०, सारण	9[illegible]9325[illegible]	[signature] 18.09.18
6	मो० सलीम अंसारी	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया	7903586833	[signature] 18/9/18
7	श्री प्रियदर्शी अमरेश	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद	9430936691	[signature] 18/9/18
8	श्री अशोक कुमार चौधरी	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा	9430557796	[signature] 18/09/18
9	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अरवल	8002860870	[signature] 18/09/2018
10	श्री अजीत कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद	9472455675	
11	श्री प्रेम कुमार	प्र० जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर	7563018613	[signature]
12	श्री अजय कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, लखीसराय	9431451783	[signature]
13	श्री [illegible] कुमार	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शेखपुरा	7992425866	
14	श्री [illegible]	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, [illegible]	79[illegible]9894[illegible]	[illegible]

	श्री विरेन्द्र कुमार	जिला साख्यिकी पदाधिकारी, खगड़िया	7488142882	
16	मो० नौशाद खाँ प्र० - मरकेश्वर रजक DSA	प्र० जिला साख्यिकी पदाधिकारी, बेगुसराय DSA	8084067266 9430403766	18.09.18
17	श्री शम्भू राम	प्र० जिला साख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर	8507689546 7985253955	18
18	श्री चन्द्रदेव महतो	जिला साख्यिकी पदाधिकारी, बांका	8987195775	18/9/2018
19	श्रीमती संध्या सुरभि	जिला साख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा	7277322478	Sandhya 18.09.18
20	श्री सोमेश्वर प्रसाद	जिला साख्यिकी पदाधिकारी, मधुबनी	9771773701	18.9.18
21	श्री सुनील कुमार सिन्हा	प्र० जिला साख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर	6201831288	18.09.18
22	श्री आनन्द प्रकाश	जिला साख्यिकी पदाधिकारी, सारण(छपरा)	9709323400	18.09.18
23	श्री रवि रंजन राकेश	जिला साख्यिकी पदाधिकारी, सीवान	7209035089	18.09.18
24	श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी	जिला साख्यिकी पदाधिकारी, गोपालगंज	9955649719	18/9/2018

[illegible]/09/2018 (सोमवार) को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की अध्यक्षता में आहूत पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक मासिक बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों की उपस्थिति :–

क्र	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल सं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	श्री धीरेन्द्र नारायण मिश्रा	प्रमण्डलीय उप निदेशक, पटना	9431808832	[illegible]
2	श्री संजय कुमार	प्रमण्डलीय उप निदेशक, पूर्णियाँ	9334322062	
3	डॉ सत्य प्रकाश पासवान	प्रमण्डलीय उप निदेशक, कोशी	9955238574	[illegible]
4	श्री श्याम किशोर प्रतिनिधि मनोज कुमार	प्र० प्रमण्डलीय उप निदेशक तिरहुत [illegible]	9431637610 9934017184	[illegible] 17/9/18
5	श्री अजय कुमार चौधरी	जि० सां० पदाधिकारी, पटना	8002602191	[illegible] 17/9/18
6	श्रीमती रश्मि	जि० सां० पदाधिकारी, नालन्दा	9693445388	[illegible] 17.09.18
7	श्री गणेश राम	जि० सां० पदाधिकारी, रोहतास	9430532014	[illegible]
8	श्री विनोद आनन्द	प्र०जि० सां० पदाधिकारी, कैमूर	8789063818	[illegible] 17.9.18
9	श्रीमती शशि प्रभा	जि० सां० पदाधिकारी, भोजपुर	9471072695	[illegible] 17.09.18
10	सुश्री सरिता कुमारी	जि० सां० पदाधिकारी, बक्सर	7677051461	For [illegible] 17/09/18
11	श्री शशि भूषण	जि० सां० पदाधिकारी, पूर्णियाँ	9470416672	
12	श्री किशोर [illegible]	प्र० जि० सां० पदाधिकारी, अररिया	8298771525	[illegible]
13	श्री सुरेन्द्र [illegible] [illegible]	प्र० जि० सां० पदाधिकारी, किशनगंज	8292621968	
[illegible]	श्री [illegible]	जि० सां० पदाधिकारी, कटिहार	933406575[illegible]	[illegible]
[illegible]	श्री [illegible]	प्र० जि० सां० पदाधिकारी सहरसा	[illegible]1114191	

16	श्री मोती कुमार दिनकर	प्र० जि० सा० पदाधिकारी, सुपौल	9431069466	[signature] 17.9.18
17	श्री उपेन्द्र कुमार	जि० सा० पदाधिकारी, मधेपुरा	9934363940	[signature]
18	श्री अरविन्द कुमार सिंह प्रतिनिधि मनीष कुमार	जि० सा० पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर अन्वेषक (सा०)	9470033534 [illegible]	[signature] 17.9.18
19	श्री शशिकान्त प्रकाश	प्र० जि० सा० पदाधिकारी, सीतामढ़ी	9431696962	
20	श्री सुभाष राम	प्र० जि० सा० पदाधिकारी, शिवहर	9262700383	[signature] 17/9/2018
21	श्री मिथिलेश कुमार	जि० सा० पदाधिकारी, प०चम्पारण	8002841265	[signature] 17.9.18
22	श्री शम्भू प्रसाद यादव	जि० सा० पदाधिकारी, पू०चम्पारण	9771347688	[signature] 17.9.18
23	श्री संजय कुमार सिंह	जि० सा० पदाधिकारी, वैशाली	~~8294552061~~ 6204711299	[signature] 17.09.18